

इस न्यायिक जिला स्थापना में मालखाना अनुभाग, मण्डलेश्वर में आपराधिक प्रकरणों के जप्तशुदा संलग्न सूची के वाहनों को "जहां है जैसा है" स्थिति में नीलाम/विक्रय खुली निविदा के माध्यम से किया जाना है। उक्त वाहन के विक्रय/नीलामी हेतु उक्त वाहनों के सामने वर्णित न्यूनतम आफसेट मूल्य निर्धारित किया गया है। उक्त वाहन के विक्रय हेतु स्थान न्यायालय परिसर मण्डलेश्वर म.प्र. तथा दिनांक 24/09/22 को प्रातः 11.00 बजे का समय निर्धारित किया गया है। वाहन के निरीक्षण हेतु मालखाना नाजिर मण्डलेश्वर से संपर्क किया जा सकता है।

नीलाम/विक्रय की शर्तः—

1. मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा लगभग 27 दो/चार पहिया वाहनों का पृथक-पृथक न्यूनतम अपलेखन मूल्य संलग्न सूची में उक्त वाहन के सम्मुख अंकित अनुसार (न्यूनतम शासकीय बोली) नियत है।
2. नीलामी होने वाले वाहन को नीलामी से पूर्व एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। **वाहन जिस स्थिति में है, जहां खड़ा है, उसी स्थिति में नीलाम होंगे एवं सौंपे जावेंगे** इसलिए बोली बोलने वाले का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहनों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
3. बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति को बोली में सम्मिलित होने के पूर्व संबंधित वाहन के सामने वर्णित की गयी अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगी, धरोहर/अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।
4. जिसकी अंतिम बोली स्वीकार की जाएगी उसे बोली की 25 प्रतिशत राशि जमानत के तौर पर अग्रिम के रूप में जमा करनी होगी। इस राशि में उसकी जमानत के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। अवशेष में जमा नहीं की गयी तो बोली निरस्त समझी जावेगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जावेगी। जप्तशुदा वाहनों का अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर के नाम से जमाकर सामग्री को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
5. अंतिम बोली की स्वीकृति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर द्वारा की जाएगी तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दे।
6. सक्षम अधिकारी का किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा मुद्देमाल नीलामी समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय मण्डलेश्वर को प्राप्त होगा।
7. जब तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर द्वारा बोली को अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है तब तक, नीलाम/विक्रय किए गए वाहन की

चौकसी के लिए वांछित प्रबंध करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति की होगी, लेकिन नीलाम की गयी वाहन उसी परिसर में रखी जावेगी, जहां नीलाम हुई थी। गाडी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति का होगा।

8. जप्तशुदा वाहनों के विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने पर क्रेता को उक्त वाहनों को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय मण्डलेश्वर से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा। विलंब की स्थिति में दैनिक आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।

9. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

10. अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् नीलामी वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।


11. संबंधित जप्तशुदा वाहन जिला न्यायालय परिसर मण्डलेश्वर में उपलब्ध है इस हेतु मालखाना नाजिर मण्डलेश्वर से संपर्क करें।

12. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर जप्तशुदा वाहनों को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है ऐसा माना जावेगा।

13. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

नोट- उक्त वर्णित वाहनों से संबंधित किसी पक्षकार/दावेदार को यदि कोई आपत्ति हो तो वह नीलामी के 07 दिवस पूर्व तक अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, समयावधि पश्चात् प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर विचार न होने के लिए पक्षकार/दावेदार स्वयं दायित्वहीन रहेंगे।

संलग्न:- वाहनों की सूची


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला न्यायालय मण्डलेश्वर

(3)

नीलामी/विक्रय किए जाने वाले वाहनों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रकरण की जानकारी	वाहन का प्रकार एवं वाहन का नंबर	वाहन का उपलब्ध स्थान	वाहन की निर्धारित आफसेट प्राईज	धरोधर राशि
1	मु.र.नं.77/00 आर.सी.टी.नंबर 82/2000 आबकारी महेश्वर वि.कनकसिंह निर्णय दिनांक 05.07.2000 में	हीरोहोण्डा मो.सायकिल क्र.एम.पी. 09 एस 1902	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	3000/-	400/-
2	मु.र.नं.145/04 एन.डी.पी.एस. प्रकरण क्र.8/04 खरगोन वि. सखाराम निर्णय दिनांक 09.10.2007	मो.सायकिल क्र.एम.पी.10 व्हाय 581	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	3000/-	400/-
3	मु.र.नं. 33/06 विशेष सत्र प्रकरण क्र.2/06 कसरावद वि. भगवान निर्णय दिनांक 10.12.2007 में	मो.सायकिल पुरानी हीरोहोण्डा सी. डी.100 सी 10/5334 नम्बर घीस चूका है।	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	2500/-	300/-
4	मु.र.नं.134/07 आर.सी.टी.नंबर 207/2007 मण्डलेश्वर वि. राधेश्याम निर्णय दिनांक 24.04.2009 में	मो.सायकिल हीरो होण्डा सीडी 100एसएस	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	5000/-	600/-
5	मु.र.नं.234/08 सत्र प्रकरण क्र. 276/08 मण्डलेश्वर वि. तुलसीराम निर्णय दिनांक 27.04.2010	मो.सायकिल बजाज सीटी-100 एम. पी.10 एफ.6317 चेचिस नंबर डीयूएफबी एलएफ18734 इंजन नंबर डीयूएचबी एलएफ 80941	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	4000/-	500/-
6	मु.र.नं.162बी/10एन.डी.पी.एस. प्र.क्र.11/10 भगवानपूरा वि. बुढिया निर्णय दिनांक 29.06.2018	मो.सायकिल का चेचिस नंबर HA10EA9H677 68 चेचिस नंबर MBLHA10EFS HM2259	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	4500/-	600/-
7	मु.र.नं.83/2010 एन.डी.पी.एस. प्र.क्र.6/11 कसरावद वि.मुकेश	मारुति जेन एम.पी.12	मालखाना अनुभाग	17000/-	1800/-

निरंतर 4


(4)

	व अन्य निर्णय दिनांक 02.12.11	ई 4149	मण्डलेश्वर		
8	मु.र.नं.248/09 एन.डी.पी.एस.प्र. क.2/11 भगवानपुरा वि.विनोद आदि निर्णय दिनांक 17.02.2011	मारुति वेन एम.पी.09 बी 0580 वाहन	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	16000/-	1700/-
9	मु.र.नं.113/09 एन.डी.पी.एस.प्र. क.4/09 खरगोन वि.राकेश आदि निर्णय दिनांक 23.08.2010	बुलेरो पिकअप वाहन क.एम.पी. 10 जी 0215	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	35000/-	3500/-
10	मु.र.नं.ब 244/09 एन.डी.पी.एस.एक्ट प्र.क.3/08 भगवानपुरा वि.प्रवीण व डेविड निर्णय दिनांक 30.11.2009	क्वालिस एम.एच.41 सी 0307	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	22000/-	2300/-
11	मु.र.नं.147/12 आर.सी.टी.नंबर 206/98 मण्डलेश्वर वि.बहुरी निर्णय दिनांक 08.12.2009	जीव्ही टाटा टक क.सी.पी. जी.7354	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	80000/-	8000/-
12	मु.र.नं.3/93 एस.टी.प्रकरण क. 51/93 शासन वि.बद्रीसिंह नि.ता. 07/07/95	राजदूत मोटरसायकिल जी.जे.एच.4958	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	6000/-	700/-
13	मु.र.नं.138/00 आर.सी.टी.नंबर 169/99 मण्डलेश्वर वि. कालू धारा 279, 337 भादसं निर्णय दिनांक 03.12.99	पुराना स्कूटर एम.पी. 10/0250	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	1500/-	250/-
14	मु.र.नं.204/03 एस.टी.प्रकरण क.131/03 करही वि.बलवंत निर्णय दिनांक 27.02.2004	पुराना प्रिया कंपनी का स्कूटर एम.पी. 09 डी 9156	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	2500/-	300/-
15	मु.र.नं.234/04 आर.सी.टी.नंबर 311/04 मण्डलेश्वर वि. राधेश्याम निर्णय दिनांक 11.04.05	पुराना स्कूटर एम.पी. 08बी/2825	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	2000/-	300/-
16	मु.र.नं.76/04 आर.सी.टी.नंबर 162/04 आब.महेश्वर वि.रोहन निर्णय दिनांक 22.09.2004	मोटरसायकिल राजदूत एम.पी. 09 ए 8485	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	4000/-	500/-
17	मु.र.नं.127/06 आर.सी.टी.नंबर 79/05 मण्डलेश्वर वि.दीपेश निर्णय दिनांक 03.02.2007	मो.सा.एम.80 बजाज चेचिस नं.16सीबीईएफ 75062	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	2500/-	300/-
18	मु.र.नं.209/07 आ.प्र.क. 288/07 मण्डलेश्वर वि.	मोटरसायकिल बजाज एम.पी.	मालखाना अनुभाग	5000/-	600/-

निर्वाह ... 5 :

(5)

19	मुर.नं.88/08 एन.डी.पी.एस.प्र.क्र. 1/11 भगवानपुरा उर्फ आजम निर्णय दिनांक 28/05/2011	मोटरसायकिल हीरोहोण्डा पेशन एम.पी.47 एम.ए.1610	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	7000/-	800/-
20	मुर.नं.90/08 सत्र प्र.क्र. 117/08 मण्डलेश्वर वि.संतोष निर्णय दिनांक 22.10.2009	में जप्तशुदा स्कूटर एम.पी. 10 बी 4005 बजाज कंपनी	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	1500/-	250/-
21	मुर.नं.53/09 सत्र प्र.क्र. 73/08 बलकवाडा गजराबाई	जली हुयी हीरो होण्डा सायकिल मो. सा.एम.पी. 10 एम.ए. 9259	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	1000/-	200/-
22	मुर.नं.38/11 आर.सी.टी.नंबर 553/10 मण्डलेश्वर वि.राजेन्द्र निर्णय दिनांक 28.06.2012	मोटरसायकिल एम.पी.12के7794	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	3200/-	400/-
23	मुर.नं.86/13 सत्र प्र.क्र. 15/13 मण्डलेश्वर वि.शिवराम उर्फ श्रीराम निर्णय दिनांक 23.04.2014	जली हुयी बजाज प्लेटिना मोटरसायकिल	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	500/-	100/-
24	मुर.नं.87/13 आर.सी.टी.प्र.क्र. 365/12 मण्डलेश्वर वि. टीकाराम निर्णय दिनांक 21.09.2013	हीरोहोण्डा ग्लेमर सायकिल एम.पी.09 एम.आर. 3440	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	2700/-	300/-
25	मुर.नं.237/14 स.प्र.क्र. 308/14 करही वि.बाला उर्फ अर्जुन निर्णय दिनांक 05.12.2014	मो.सायकिल स्प्लेण्डर एम.पी. 09 जे.टी.5520	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	4200/-	500/-
26	मुर.नं. 258/09 स.प्र.क्र. 201/09 निर्णय दिनांक 05.12.2014	मो.सायकिल हीरोहोण्डा सीडी डॉन एमपी40बी ए/4698	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	5100/-	600/-
27	मुर.नं. 38/12 सत्र प्र.क्र. 148/11 करही वि. रघुनाथ में निर्णय दिनांक 05.08.2013	मोसायकिल एम.पी. 09 एम.एक्स. 7168 हीरोहोण्डा	मालखाना अनुभाग मण्डलेश्वर	6500/-	700/-


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला न्यायालय मण्डलेश्वर